न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 42/2024

अपीलान्ट बनाम **रेस्पोडेन्टस**

अपीलान्ट

1. बींजराजसिंह पुत्र करणसिंह
2. राणसिंह पुत्र झण्डसिंह
3. सवाईसिंह पुत्र करणसिंह
4. नेपालसिंह पुत्र झण्डसिंह
5. श्रीमती गंगाकंवर पत्नी झण्डसिंह जाति–राजपूत निवासी–सांकडा, तहसील–पोकरण जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेन्टस

1. सतीदानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
2. शम्भूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
3. सवाई सिंह पुत्र अर्जुनसिंह
4. भीखसिंह पुत्र लखसिंह
5. श्रीमती लालकंवर पत्नी अर्जुनसिंह
6. रेवन्तसिंह पुत्र घेवरसिंह
7. रामसिंह पुत्र घेवरसिंह
8. कालूसिंह पुत्र घेवरसिंह
9. लूणसिंह पुत्र घेवरसिंह
10. नीम्बसिंह पुत्र घेवरसिंह
11. प्रतापसिंह पुत्र भीखसिंह
12. श्रीमती कमला कंवर पत्नी धूडसिंह
13. सवाईसिंह पुत्र धूडसिंह
14. तेजसिंह पुत्र धूडसिंह
15. धोकलसिंह पुत्र उदयसिंह
16. नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह
17. हरिसिंह पुत्र उदयसिंह
18. खंगारसिंह पुत्र चेतरामसिंह
19. श्रीमती प्रेमकंवर पत्नी इन्द्रसिंह
20. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
21. सालमसिंह पुत्र झण्डसिंह
22. भूरसिंह पुत्र चेतरामसिंह जातियान–राजपूत निवासीगण–सांकडा, तहसील–पोकरण जिला जैसलमेर।
23. शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा– सांकडा, पोकरण
24. तहसीलदार, पोकरण

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 05.01.2024 जो उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 57/2021 अनवान सतीदानसिंह बनाम सवाईसिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता अपीलान्टगण की ओर से।
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 20 की ओर से ।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

3. श्री नवलसिंह दहिया, राज. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 24 की ओर से।
4. श्री लोकेन्द्र, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 21 की ओर से।
5. शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 25 फरवरी, 2025

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के पेश करते हुए कथन किया कि ख0सं0 571 रकबा 652 बीघा 07 बिस्वा ग्राम सांकडा में स्थित है। उक्त खसरा भूमि में लखसिंह, चेतरामसिंह, करनसिंह पुत्रगण दलसिंह का 3/4 हिस्सा, धूडसिंह, धोकलसिंह, हरिसिंह पुत्रगण उदयसिंह का 1/4 हिस्सा है, जिसका बंटवाडा अन्य खसरा नम्बर की भूमि के साथ समस्या समाधान शिविर में सभी सहखातेदारों की आम सहमति से तहसीलदार पोकरण द्वारा आदेश दिनांक 10.6.1992 को पारित कर दिया तथा उक्त आदेश की पालना में नामा0 संख्या 674 भरा गया तथा नामा0 पर तरमीम अक्ष अंकित किया गया जिसमें प्रत्येक सहखातेदार के 2–2 खसरे खोले गये। एक खसरा रोड पर व एक पीछे की तरफ लेकिन जमाबन्दी में केवल एक–एक खसरा ही खोला गया। इसके बाद लम्बे समय तक नक्शा में तरमीम अंकित नहीं की गई। हाल ही में ऑनलाईन तरमीम करते वक्त पटवारी हल्का द्वारा शुद्धिपत्र भरकर तरमीम अक्ष के आधार पर दो–दो खसरे खोल दिये जिसमें हमारा एक खसरा 63.02 बीघा के स्थान पर 23 बीघा भूमि दर्ज कर दिया गया चूंकि उक्त खसरा संख्या 571 की भूमि रोड से लगती हुई स्थित है। इस कारण रोड से लगती भूमि बराबर–बराबर हिस्से में लखसिंह के नाम 63.02 बीघा, चेतरामसिंह के नाम 63.02 बीघा, करणसिंह के नाम 63.02 बीघा एवं धूडसिंह, धोकलसिंह, हरिसिंह पिता उदयसिंह के नाम 63.02 बीघा भूमि की माफिक बंटवाडा तरमीम की जानी थी और शेष भूमि की अलग से खातेदारान के मध्य 100–100 बीघा भूमि का बंटवाडा के अनुसार तरमीम की जानी थी तथा मौके पर पक्षकारान इसी के अनुसार काबिज है। बंटवाडा होने के बाद खातेदारान का अलग–अलग खाता दर्ज कर राजस्व नक्शो में अलग–अलग तरमीम की गई और बंटवाडा के अनुसार पक्षकारान काबिज हुए। उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 571 की भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि है जिस पर पीढियों से पक्षकारान काबिज काश्त है और मौके पर भी बंटवाडानामा के अनुसार सहखातेदारान अपनी–अपनी जगह पर काबिज है। मगर पटवारी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हल्का के द्वारा ऑन लाईन नक्शा दर्ज करते समय रोड पर प्रत्येक की 63.02– 63.02 बीघा भूमि के स्थान पर 23.00– 23.00 बीघा भूमि पक्षकारान के कब्जे के विपरित जाकर तरमीम कर ऑनलाईन नक्शे में दर्ज कर दी जिसकी जानकारी प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को नहीं होने दी गई। इस कारण से उक्त तरमीम को शुद्ध किया जाना आवश्यक होने से तथा मौके पर कब्जा अनुसार व माफिक बंटवाडा के अनुसार तरमीम किये जाने हेतु रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करते हुए अन्य पक्षकारान/सहखातेदारान को नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार से जवाब तलब किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या एक व दो की ओर से पेश उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार तरमीम दुरूस्त करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2024 को पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 16.04.2024 को न्यायालय के समक्ष पेश की है।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2021 को पेश करते हुए यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण के अधिवक्तागण को कोई मौका नहीं दिया गया व उनके अधिवक्ता की गैर हाजरी लगा दी गई तथा प्रकरण निर्णय में विचाराधीन न रखते हुए कब निर्णय किया गया, उसकी सूचना भी अपीलान्ट्स अधिवक्ता को नहीं दी गई। दिनांक 8.4.2024 को अधिवक्ता से मिला तब अधिवक्ता ने बताया कि उक्त प्रकरण में अन्तिम रूप से निर्णय हो चुका है, तब निर्णय की नकल लेने हेतु आवेदन कर निर्णय की नकल प्राप्त की। उक्त दिनांक को प्रथम बार जानकारी होने से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

रेस्पोडेन्टस के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम में अंकित कथनों का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया तथा अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज करने का कथन किया गया।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता ने आपसी सहमति से हुए बंटवाडा आदेश बाबत कोई उज्र एतराज सक्षम न्यायालय में पेश नहीं किया है। उनकी मृत्यु होने के बाद भी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने एतराज नहीं किया। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र में सहमति से बंटवाडा व मौके पर काबिज होना बताया। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बंटवाडा आदेश के 29 साल बाद तक कोई उज्र व एतराज नहीं किया है। इतने समय पश्चात तरमीम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई औचित्य नहीं रहा है। इस आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर पेश प्रार्थना पत्र देरी से पेश करने के आधार पर मियाद बिन्दु पर ही निरस्त करने योग्य था। इसके अलावा सहमति से हुए बंटवाडे के आधार पर की गई तरमीम को बिना बंटवाडा निरस्त कराये तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पर चलने योग्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाडा आदेश के विपरित नक्षे में नये सिरे से तरमीम करने का पारित आदेश पूर्णतया नियम विरुद्ध व बिना क्षेत्राधिकार का होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से में आई भूमि को उपयोगी बनाने में काफी धन व्यय किया गया है, ऐसे में उन्हें अपीलाधीन आदेश की आड में भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। भूमि का आपसी सहमति से एक बार बंटवाडा होने के बाद दूसरी बार बंटवाडा नहीं हो सकता और उसके बिना राजस्व नक्षे में तरमीम दुरूस्ती नहीं की जा सकती है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि मौके पर वर्ष 1992 में हुए बंटवाडा के अनुसार खातेदारी अपनी-अपनी जगह पर काबिज है तथा मौके पर मकान, ढाणी, टांका एवं तारबन्दी बने हुए है एवं नलकूप खुदे हुए है तथा बंटवाडा के आदेश अनुसार नक्शे में तरमीम की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवाडा आदेश, राजस्व रेकर्ड व मौके के अनुसार आपसी सहमति से नक्शे में की गई नक्शे में तरमीम का सही ढंग से अवलोकन नहीं किया गया। इस कारण उक्त कानूनी बिन्दु के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त खसरा भूमि का वर्ष 1992 में आपसी सहमति से बंटवाडा किया गया था जिसमें लखसिंह, चेतरामसिंह, करनसिंह

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पुत्रगण दलसिंह का 3/4 हिस्सा, धूडसिंह, धोकलसिंह, हरिसिंह पुत्रगण उदयसिंह का 1/4 हिस्सा है। उक्त बंटवाडा अन्य खसरा भूमि के साथ समस्या समाधान शिविर में सभी सहखातेदारों की सहमति से तहसीलदार पोकरण द्वारा आदेश दिनांक 10.6.1992 को पारित किया गया तथा उक्त आदेश की पालना में नामा0 संख्या 674 भरा गया तथा प्रत्येक सहखातेदार को 140 बीघा व 23 बीघा भूमि मौके पर दी गई तथा चारों सहखातेदारों को मुख्य सडक की तरफ उनके हक–हिस्से के अनुसार बराबर–बराबर भूमि दी जाकर खातेदारी दर्ज कर दी गई तथा नक्शे में भी तरमीम कर दी गई। रेस्पोडेन्टस अपनी मनमर्जी से बिना किसी कानूनी अधिकार के 23 बीघा की जगह 63 बीघा सडक की तरफ की भूमि के भाव बढ़ने के कारण लेना चाहता है जबकि मौके पर इस प्रकार से काबिज नहीं है। इसके अलावा धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है क्योंकि निर्णय में कोई रीजनिंग व फाईडिंग नहीं दी गई है, मात्र पटवारी हल्का की ओर से पेष रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम शुद्ध करने का आदेश दे दिया है यानि उक्त आदेश से सहखातेदारों की खातेदारी कम या अधिक मौके के काबिज अनुसार तथा पूर्व के बंटवाडा अनुसार नहीं दी है। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व सभी सहखातेदारों को इसकी सूचना भी नहीं दी गई तथा उक्त रिपोर्ट पर सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर भी नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवारी हल्का की ओर से पेष एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर एवं मौके पर कब्जे, हक–हिस्से व मौके पर खुदे हुए नलकूप, रहवासी ढाणियों व मौके पर की गई तारबन्दी के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो कि पूर्णतया रेकर्ड के विपरित व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है, इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि सीपीसी के प्रावधानों के तहत किसी मृतक को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है तथा न ही मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 11 व 13 की मृत्यु हो जाने पर भी उनके विरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तरमीम शुद्धि किये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2024 को निरस्त किया जावे। अपीलान्ट के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 14.8.2012 पेज 517, आरआरडी 1995 पेज 409 अवलोकनार्थ पेश किये।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि विवादित भूमि में लखसिंह, चेतरामसिंह, करनसिंह पुत्रगण दलसिंह का 3/4 हिस्सा, धूडसिंह, धोकलसिंह, हरिसिंह पुत्रगण उदयसिंह का 1/4 हिस्सा है। जिसका बंटवाडा अन्य खसरा नम्बरों की भूमि के साथ–साथ समस्या समाधान शिविर में सभी सहखातेदारों की आम सहमति से तहसीलदार पोकरण द्वारा आदेश दिनांक 10.6.1992 को पारित किया गया तथा उक्त आदेषश की पालना में नामा0 संख्या 674 भरा गया तथा नामा0 पर तरमीम अक्ष अंकित किया गया जिसमें प्रत्येक सहखातेदार के 2–2 खसरे खोले गये। एक खसरा रोड पर व एक पीछे की तरफ लेकिन जमाबन्दी में केवल एक–एक खसरा ही खोला गया। इसके बाद लम्बे समय तक नक्शे में तरमीम अंकित नहीं की गई थी। हाल ही में ऑनलाईन तरमीम करते वक्त पटवारी हल्का द्वारा शुद्धिपत्र भरकर तरमीम अक्ष के आधार पर दो–दो खसरे खोल दिये गये जिसमें हमारा एक खसरा 63.02 बीघा के स्थान 23 बीघा भूमि दर्ज कर दिया गया। चूंकि उक्त खसरा संख्या 571 की भूमि रोड से लगती हुई स्थित है। इस कारण रोड से लगती भूमि बराबर–बराबर हिस्से में लखसिंह के नाम 63.02 बीघा, चेतरामसिंह के नाम 63.02 बीघा, करणसिंह के नाम 63.02 बीघा एवं धूडसिंह, धोकलसिंह, हरिसिंह पिता उदयसिंह के नाम 63.02 बीघा भूमि की माफिक बंटवाडा के अनुसार तरमीम की जानी थी और शेष भूमि की अलग से खातेदारान के मध्य 100–100 बीघा भूमि का बंटवाडा अनुसार तरमीम की जानी थी तथा मौके पर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज है।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि बंटवाडा होने के बाद खातेदारान का अलग–अलग खाता दर्ज कर राजस्व नक्षो में अलग –अलग तरमीम की गई और बंटवाडा के अनुसार काबिज हुए। उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 571 की भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि है जिस पर वे पीढियों से काबिज काश्त है और मौके पर भी बंटवाडानामा के अनुसार सभी सहखातेदार अपनी–अपनी जगह पर काबिज है। मगर पटवारी हल्का के द्वारा ऑन लाईन नक्शा दर्ज करते हुए रोड पर प्रत्येक की 63.02–63.02 बीघा भूमि के स्थान पर 23.00–23.00 बीघा भूमि पक्षकारान के कब्जे के विपरित जाकर तरमीम कर ऑनलाईन नक्शे में दर्शा दी, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण/ रेस्पोडेन्टस को नहीं होने दी। इस कारण से उक्त तरमीम को शुद्ध किया जाना आवश्यक होने से तथा मौके पर कब्जे के अनुसार व माफिक बंटवाडा के अनुसार तरमीम किये जाने

संभागीय आयु...
जोधपुर

हेतु रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पेष किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करते हुए अन्य पक्षकारान/सहखातेदारान को नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार से जवाब तलब किया गया।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि माफिक बंटवाडा के अनुसार तरमीम नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा राजस्व नक्शे में गलत रूप से की गई तरमीम की जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट के द्वारा उसे दुरूस्त करवाने हेतु एक प्रार्थनापत्र पेश किया गया था। बिना किसी आधार के इस प्रकार की नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने में मियाद आडे नहीं आती है, उसे कभी भी चुनौती पेश की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार के द्वारा जवाब पेश करते हुए यह कथन किया गया कि पटवारी हल्का के द्वारा जारी शुद्धिपत्र वर्ष 1992 के समझौते के मुताबिक नहीं है क्यों कि वर्ष 1992 के समझौते के मुताबिक काश्तकारान की भूमि का विभाजन व तरमीम के नक्षे में अन्तर है। अतः सडक की तरफ की तरमीम मौके पर खातेदारों के कब्जा–काश्त के अनुसार नहीं है। अतः उक्त शुद्धिपत्र भी अशुद्ध है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 571 रकबा 652.07 बीघा की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम शुद्ध करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2024 को पारित किया गया है जो कि विधि अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि हम पक्षकारान के मध्य हुए आपसी बंटवाडानामा के अनुसार व मौके पर काबिज काश्त अनुसार बराबर– बराबर हिस्सा यानि 63.02–63.02 बीघा भूमि दर्ज होनी है तो इसमें अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि मौके पर किसी के हिस्से की भूमि को किसी अन्य के हिस्से में दर्ज नहीं की जानी है और राजस्व रेकर्ड में भी किसी प्रकार से हक–हिस्सा कम नहीं होगा, मात्र राजस्व नक्शे में बराबर–बराबर हिस्सा अंकित करवाये जाने की मंषा से ही रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा प्रार्थनापत्र पेश किया गया था। अपीलान्ट के द्वारा पेश अपील में ऐसे कोई ठोस तथ्य अंकित नहीं किये गये है जिससे अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि की गई हो अथवा अपीलाधीन आदेश विधि के अनुकूल पारित नहीं किया गया हो। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2024 को यथावत रखा जावें।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन एवं चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों, प्रस्तुत निर्णय नजीरों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया, जिसके उपरान्त यह पाया गया कि रेस्पो0 संख्या 01 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थनापत्र दिनांक 27.07.2021 प्रस्तुत करते हुए अंकित किया गया है कि ग्राम सांकडा के ख0सं0 571 रकबा 652 बीघा 07 बिस्वा भूमि में लखसिंह, चेतरामसिंह, करनसिंह पुत्रगण दलसिंह का 3/4 हिस्सा, धूडसिंह, धोकलसिंह, हरिसिंह पुत्रगण उदयसिंह का 1/4 हिस्सा अंकित करते हुए अन्य खसरा नम्बरों की भूमि के साथ–साथ समस्या समाधान शिविर में सभी सहखातेदारों की आम सहमति से तहसीलदार पोकरण ने आदेश दिनांक 10.06.1992 के अनुसार बंटवाड़ा कर दिया। उक्त आदेश की पालना में नामा0 संख्या 674 भरा जाकर नामा0 पर तरमीम अक्ष अंकित किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक सहखातेदार के 2–2 खसरे खोले गये है। एक खसरा रोड पर व एक पीछे की तरफ, लेकिन जमाबन्दी में केवल एक–एक खसरा ही खोला गया। उक्त भूमि की ऑनलाईन तरमीम करते वक्त पटवारी हल्का द्वारा शुद्धिपत्र भरकर तरमीम अक्ष के आधार पर दो–दो खसरे खोल दिये गये जिसमें एक खसरा 63.02 बीघा के स्थान पर 23 बीघा भूमि दर्ज कर दिया गया। चूंकि उक्त खसरा संख्या 571 की भूमि रोड से लगती हुई स्थित है। इस कारण रोड से लगती हुई भूमि बराबर–बराबर हिस्से में लखसिंह के नाम 63.02 बीघा, चेतरामसिंह के नाम 63.02 बीघा, करणसिंह के नाम 63.02 बीघा एवं धूडसिंह, धोकलसिंह, हरिसिंह पिता उदयसिंह के नाम 63.02 बीघा भूमि की माफिक बंटवाडा अनुसार तरमीम की जानी थी और शेष भूमि की अलग से खातेदारान के मध्य 100–100 बीघा भूमि का बंटवाडा अनुसार तरमीम की जानी थी तथा पक्षकारान मौके पर इसी अनुसार काबिज है। पटवारी हल्का के द्वारा ऑन लाईन नक्शा दर्ज करते हुए रोड पर प्रत्येक की 63.02– 63.02 बीघा भूमि के स्थान पर 23.00– 23.00 बीघा भूमि पक्षकारान के कब्जे के विपरित जाकर तरमीम कर ऑनलाईन नक्शे में दर्शा दी। उक्त तरमीम को शुद्ध की जाकर मौका पर कब्जा अनुसार व माफिक बंटवाडा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या एक व दो की ओर से पेष उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2021 को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार तरमीम दुरूस्त करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2024 को पारित किया गया है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेष दिनांक 05.01.2024 के सम्बन्ध में यह आपत्ति की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में जो निर्णय पारित किया गया है, वो रेस्पो0 संख्या 11 से 13 यथा प्रतापसिंह पुत्र भीखसिंह, कमलाकंवर पत्नी धूड़सिंह एवं सवाईसिंह पुत्र धूड़सिंह की मृत्यु हो जाने पर भी उन मृतकों के विरूद्ध पारित किया गया है जो कि विधि के विपरित है। इसके अलावा विवादित भूमि का बंटवाडा 10.06.1992 के तहत किया गया था तथा पक्षकारान मौके के अनुसार ही काबिज थे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा विवादग्रस्त भूमि की तरमीम बंटवाड़ा दिनांक 10.06.1992 के अनुसार अर्थात् मौके के अनुसार नही की गई है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बाबत मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, के संबंध में रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐजराज नही किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा अपीलाधीन आदेष दिनांक 05.01.2024 मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया है जो सी.पी.सी. के प्रावधानो के अनुसार वैध नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2024 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंषिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2024 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में खातेदारो के मध्य हुए आपसी सहमति बंटवाड़ा दिनांक दिनांक 10.06.1992 के अनुसार तथा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार करवाई जाकर, रेस्पो0 संख्या 11 से 13 के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने तथा उभय पक्षकारान को अपना समुचित पक्ष रखने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे। निर्णय आज दिनांक 25 फरवरी, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर।